# भाग ४

श्री ५ को सरकार

## गृह मन्त्रालयको सूचना

खण्ड ४२ मिति २०४९।९।६ संख्या ३६ को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा यस मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित प्रहरी नियमावली, २०४९ मा देहायबमोजिम भूलसुधार गरिएको छ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनु पर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | १ | १ | १ | यो नियमहरू | यी नियमहरू |
| २. | २ | ३ | १ | सेवालई | सेवालाई |
| ३. | ४ | ५(य) | १ | दगा प्रहरी नियन्त्रण गण | दंगा प्रहरी नियन्त्रण गण |
| ४. | ५ | ५(ट) | १ | ट्रफिक प्रहरी कार्यालय | ट्राफिक प्रहरी कार्यालय |
| ५. | ७ | ९ | १ | शुरू नियुक्त हुने | शुरू नियुक्ति हुने |
| ६. | १३ | १७को(१) | ५ | योग्यताक्रमानुसा | योग्यताक्रमानुसार |
| ७. | १३ | १७(२) | २ | आवश्यक्तानुसार | आवश्यकतानुसार |
| ८. | १४ | १९ | १ | नयुक्ति सदर गर्ने | नियुक्ति सदर गर्ने |
| ९. | १४ | २० | १ | प्रहरी जनाव | प्रहरी जवान |
| १०. | १५ | २०(४) | २ | उम्मेदवारहरूलको | उम्मेदवारहरूको |
| ११. | १६ | २०(५) | २ | मानेका | मानेको |
| १२. | १६ | २१ | १ | सहायक निरीक्षको | सहायक निरीक्षकको |
| १३. | १७ | २३(क)(३) | २ | प्रहरी नायव महानिक्षक | प्रहरी नायव महानिरीक्षक |
| १४. | २१ | २६(घ) | ५ | केफियत | कैफियत |
| १५. | २० | २६ख.(अ)(४) | १ | का गरेको | काम गरेको |
| १६. | २१ | २६(घ) | २ | न्यून्तम | न्यूनतम |
| १७. | २१ | २६(घ)(१) | २ | न्यून्तम | न्यूनतम |
| १८. | २२ | २६(३)(१) | १ | श्रैणी नखुलेको | श्रेणी नखुलेको |
| १९. | २२ | २६(ङ) | १, २ | श्री ५ महाराजाधिराजबाट | श्री ५ महाराजाधिराजबाट |
| २०. | २२ | २६(ङ) | ५ | विभूष्णमा | विभूषण |
| २१. | २२ | २६(च) | २ | कार्य समपादन | कार्य सम्पादन |
| २२. | २३ | २६(च)(३) | ६ | कर्मचार्राको | कर्मचारीको |

आधिकारिकता प्रमाणीकरण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| २३. | २३ | २६(च)(३) | ८ | वहाल रहेका | वहाल रहेको |
| २४. | २४ | २८(२) | १ | गर्नको संभाव्य | गर्नको लागि संभाव्य |
| २५. | २५ | २८(३) | ३ | उम्मेदवाहरूको | उम्मेदवारहरूको |
| २६. | २५ | २९ | १ | कर्मचारीको सरूवा | कर्मचारीहरूको सरूवा |
| २७. | २५ | २९(१)(क) | २ | अधिकृत | अधिकृतलाई |
| २८. | २६ | ३१(३) | १ | साधारतया | साधारणतया |
| २९. | २६ | ३१(४) | ४ | सशस्त प्रहरीमा | सशस्त्र प्रहरीमा |
| ३०. | २६ | ३१(४) | ४ | सशस्त प्रहरीबाट | सशस्त्र प्रहरीबाट |
| ३१. | २७ | ३१ (७) | ३ | प्रहर्राको | प्रहरीको |
| ३२. | २९ | ३२ (ठ) | १ | अन्तराष्ट्रिय | अन्तरराष्ट्रिय |
| ३३. | २९ | ३३ | १ | क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय प्रमुखको काम र कर्तव्य | क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखको काम र कर्तव्य |
| ३४. | २९ | ३३ (ख) | २ | समपर्क | सम्पर्क |
| ३५. | २९ | ३३ (घ) | १ | मातहतका प्रहारी | मातहतका प्रहरी |
| ३६. | ३० | ३३ (च) | २ | सरकार विद्ध | सरकार विरूद्ध |
| ३७. | ३० | ३३ (ज) | २ | प्रतिवेदनतको | प्रतिवेदनको |
| ३८. | ३० | ३३ (झ) | १ | तालमि | तालीम |
| ३९. | ३० | ३३ (ठ) | २ | अन्तराष्ट्रिय | अन्तरराष्ट्रिय |
| ४०. | ३० | ३३ (ठ) | २ | समपर्क | सम्पर्क |
| ४१. | ३० | ३३ (ढ) | १ | तदारूखता साथ | तदारूकता साथ |
| ४२. | ३१ | ३४ (ख) | २ | अनिरिक्त वलको रूपमा | अतिरिक्त बलको रूपमा |
| ४३. | ३१ | ३४ (ग) | ४ | कार्यलयमा | कार्यालयमा |
| ४४. | ३१ | ३५ (ग) | १ | कार्यलय, | कार्यालय, |
| ४५. | ३२ | ३५ (ग) | ४ | कार्यलय, | कार्यालय, |
| ४६. | ३३ | ३५ (ठ) | २ | कार्यालय, चौकीहरूमा | कार्यालय र चौकीहरूमा |
| ४७. | ३३ | ३५ (ड) | १ | ज्यान समवन्धी | ज्यान सम्बन्धी |
| ४८. | ३४ | ३५ (त) | १ | श्री महाराजाधिराज | श्री ५ महाराजाधिराज |
| ४९. | ३६ | ३७ (ग) | ३ | सवुरूस्त | दुरूस्त |
| ५०. | ४१ | ३९ | १ | प्रहरी जवानको काम कर्तव्यः— | प्रहरी जवानको काम र कर्तव्यः— |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| ५१. | ४२ | ४४ | ७ | समवन्धी गोप्य प्रतिवेदन | सम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन |
| ५२. | ४२ | ४४ | ८ | प्रतिवेदनन | प्रतिवेदन |
| ५३. | ४३ | ४५ | १ | प्रतिवेदन गर्ने र पूर्व निदेशन प्राप्त गर्ने | प्रतिवेदन गर्ने र पूर्व निर्देशन प्राप्त गर्नेः– |
| ५४. | ४३ | ४९ | ६ | आवशयकतानुसार | आवश्यकतानुसार |
| ५५. | ४५ | ५३(२) | २ | दिन पाइने छैन | लिन पाइने छैन |
| ५६. | ४५ | ५३(५) | १ | कर्मचारीले पुरा | कर्मचारीले पूरा |
| ५७. | ४५ | ५४(२) | १ | समम | सम्म |
| ५८. | ४७ | ५७(१) | २ | ५० दिन | ६० दिन |
| ५९. | ५१ | | | परिच्छेद–८ आचारण | परिच्छेद–८ आचरण |
| ६०. | ५३ | ७३ | ६ | अनाधिकृत | अनधिकृत |
| ६१. | ५३ | ७३ | ७ | अथावा | अथवा |
| ६२. | ५३ | ७४ | ६ | अथावा | अथवा |
| ६३. | ५६ | ८४(ङ) | २ | स्केलकसो | स्केलको |
| ६४. | ५८ | ८८(च) | १ | नरेको अवस्थामा | नरहेको अवस्थामा |
| ६५. | ५८ | ८८(च) | २ | पादक पदार्थ | मादक पदार्थ |
| ६६. | ५९ | ८९(क) | ४ | रितपुऱ्याउनु | रीत पुऱ्याउनु |
| ६७. | ५९ | ८९(४) | ३ | सक्नेछ । | सक्नेछ । तर यस्तो निलम्वनको अवधि ६ महिना भन्दा बढो हुने छैन । |
| ६८. | ५९ | ८९(५) | १ | उप-निय (४) बमोजिम | उप-नियम ४ बमोजिम |
| ६९. | ६२ | ९३(१) | | ..... | सजायको किसिम, सजाय दिने अधिकारी, पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी (शीर्षकमा हुनुपर्ने) |
| ७०. | ६२ | ९३(१)(क) | ३ | (शारीरिक थकाई) | (शारीरिक थकाई हुने) |
| ७१. | ६२ | ९३(२)(ख) | १ | तल्लो टाईम वा तल्ला स्केलको | तल्लो टायम स्केल वा तल्लो टायम स्केलको |
| ७२. | ६३ | ९३(३)(ख) | | तल्लो टाईम स्केल वा त्यही टाईम स्केलको तल्लो | तल्लो टायम स्केल वा त्यही टायम स्केलको तल्लो स्केलमा |

१६९
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्केलमा घटुवा गर्ने वा पदोन्नति रोक्का गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतया: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने । | घटुवा गर्ने वा पदोन्नति रोक्का गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने । |
| ७३. | ६३ | ९३(५) (ग) | १ | (५) | (४) |
| ७४. | ६४ | ९३(४) (ग) | २ | घटुवा गर्ने, | घटुवा गर्ने वा |
| ७५. | ६५ | ९३(५) (ग) | २ | घटुवा गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, | घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने वा |
| ७६. | ६६ | ९३(६) (ख) | १ | रोक्का गर्ने, | रोक्का गर्ने वा |
| ७७. | ६७ | ९३(७) (ग) | १ | रोक्का गर्ने, | रोक्का गर्ने वा |
| ७८. | ६८ | ९३(७) (घ) | २ | घटुवा गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, | घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने वा |
| ७९. | ६८ | ९३(७) (घ) | ३ | नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी | नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी |
| ८०. | ६८ | ९३(८) (ख) | १ | रोक्का गर्ने, | रोक्का गर्ने वा |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| ८१. | ६८ | ६३(८)(ग) | २ | घटुवा गर्ने, | घटुवा गर्ने वा |
| ८२. | ६९ | ६३(९)(ख) | १ | रोक्का गर्ने, | रोक्का गर्ने वा |
| ८३. | ६९ | ६३(९)(ख) | ३ | अचुल गर्ने वा | असुल गर्ने र |
| ८४. | ६९ | ६३(९)(ग) | २ | घटवा गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने वा | घटुवा गर्ने वा तल्लो पदमा घटुवा गर्ने, |
| ८५. | ६९ | ६३(९)(ग) | ३ | नोकरीको लागि सामान्यतयाः अयोग्य नठहरिने गरी | नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी |
| ८६. | ७० | ६३(१०)(ख) | ३ | तलब भत्ताबाट कटा गरी असूल गर्ने वा | तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असूल गर्ने, |
| ८७. | ७० | ६३(१०)(ग) | २ | घटुवा गर्ने, तल्लो पदमा घटुवा गर्ने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि | घटुवा गर्ने वा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि |
| ८८. | ७५ | ६८ | | . . . . . | (६) नियम १०१ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेको कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई श्री ५ को सरकारले चाहेमा नोकरीबाट अवकाश दिन सक्नेछ। |
| ८९. | ७५ | ९९ | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९०. | ७५ | १०० | १ | निय १०१ बमोजिम | नियम १०१ बमोजिम |
| ९१. | ७५ | १०० | २ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९२. | ७५ | १००(ग) | २ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९३. | ७५ | १००(ग) | ३ | प्रत्येक वर्षका | प्रत्येक वर्षको |
| ९४. | ७६ | १०१ | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९५. | ७६ | १०१ | ३ | निवृत्तभरण पाउनेछ | निवृत्तिभरण पाउनेछ। |
| ९६. | ७६ | १०१(२) | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९७. | ७६ | १०१(३) | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| ९८. | ७६ | १०१(३) | ३ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ९९. | ७६ | १०१(४) | ३ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १००. | ७७ | १०१(४) | ४ | निवृत्तभरण | निवृतिभरण |
| १०१. | ७७ | १०१(५) | ३ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १०२. | ७७ | १०२ | ४ | निवृतभरण | निवृत्तिभरण |
| १०३. | ७७ | १०२ | ५ | निवृतभरण | निवृतिभरण |
| १०४. | ७७ | १०२(२) | २ | निवृतभरण पाईरहेको व्यक्तिको निवृतभरणमा | निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिको निवृत्तिभरण |
| १०५. | ७७ | १०२(३) | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १०६. | ७७ | १०२(३) | २ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १०७. | ७७ | १०३(१) | ७ | निवृत्तभरणको हकमा त्यस्तो निवृत्तभरण | निवृत्तिभरणको हकमा त्यस्तो निवृत्तिभरण |
| १०८. | ७७ | १०३(१) | ७ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १०९. | ७७ | १०३(१) | ९ | निवृतभरण | निवृत्तिभरण |
| ११०. | ७८ | १०३(१) | १० | निवृतभरण | निवृत्तिभरण |
| १११. | ७८ | १०३(२) | २ | निवृत्तभरण पाउन दालेको | निवृत्तिभरण पाउन थालेको |
| ११२. | ७८ | १०३(२) | ४ | निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण पाउने भएमा सो निवृत्तिभरण |
| ११३. | ७८ | १०३(२) | ८ | निवृतभरण | निवृत्तिभरण |
| ११४. | ७८ | १०३(२) | १० | निवृत्तभरण | निवृतिभरण |
| ११५. | ७८ | १०३(२) | ११ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ११६. | ७८ | १०४(१) | ८ | वाचुन्जेल अशक्त वृत्तिको | वाचुन्जेलसम्म अशक्तवृत्तिको |
| ११७. | ७८ | १०४(२) | १ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| ११८. | ७८ | १०४(२) | ३ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| ११९. | ७८ | १०४(२) | ५–९ | यसरी कट्टि गर्दा एक तिहाई भन्दा बढी कट्टि गरिने छैन। अर्थात कम्तिमा सो दर्जाले पाउने निवृत्तभरण को दुई तिहाई भन्दा बढी कट्टि गरिने छैन। अर्थात कम्तिमा सो दर्जाले पाउने निवृतिभरणको दुई तिहाई निवृतभरण पाउनेछ। | यसरी कट्टि गर्दा एक तिहाई भन्दा बढी कट्टा गरिने छैन। अर्थात कम्तिमा सो दर्जाले पाउने निवृत्तिभरणको दुई तिहाई निवृत्ति-भरण पाउनेछ। |
| १२०. | ७९ | १०४(३) | २ | निवृत्तभरण | निवृत्तिभरण |
| १२१. | ७९ | १०४(३)(ख)१ | २ | गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्य | गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्ष |
| १२२. | ८१ | १०७(३) | २ | साधारण निवृत्तभरण | असाधारण निवृत्तिभरण |
| १२३. | ८३ | १०९(२) | २ | प्रेवश गरेको | प्रवेश गरेको |
| १२४. | | ११०(२) | २ | प्ररी सेवा | प्रहरी सेवा |
| १२५. | ८४ | १११(१) | ३ | सरकाले उपचार खर्च | सरकारले उपचार खर्च |
| १२६. | ८५ | १११(२) | ६ | लिईनेछ | दिईनेछ। |
| १२७. | ८५ | १११(५) | १ | संगालोको | सगोलको |
| १२८. | ८७ | १११(९) | २ | प्ररी कर्मचारी उपर | प्रहरी कर्मचारी उपर |
| १२९. | ८७ | १११(१०) | ५ | रहेका भए | रहेको भए |
| १३०. | ८७ | १११(१०) | ८ | निवृत्ताभरण | निवृत्तिभरण |
| १३१. | ८७ | १११(११) | २ | सरकारी नोकरीको | सरकारी नोकरीको |
| १३२. | ८७ | १११(११) | ३ | व्योराबाट | व्यहोराबाट |
| १३३. | ८८ | १११(१४) | ४ | कार्यालयमाक | कार्यालयमा |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| १३४. | ८९ | ११३(१) | ६ | मथिल्लो | माथिल्लो |
| १३५. | ८९ | ११३(२) | १ | टाईम | टायम |
| १३६. | ८९ | ११४ | २ | एटा | एउटा |
| १३७. | ९० | ११५ | २ | काम गेमा | काम गरेमा |
| १३८. | ९१ | ११८(ख) | २ | मन्त्रायको | मन्त्रालयको |
| १३९. | ९१ | ११९(१) | ८ | प्ररी | प्रहरी |
| १४०. | ९१ | ११९(३) | १ | काम गर्ने | काम गर्न |
| १४१. | ९२ | १२२(३) | २ | कार्यायबाट | कार्यालयबाट |
| १४२. | ९४ | १२९(१) | १ | प्रशिक्षार्थीहलाई | प्रशिक्षार्थीहरूलाई |
| १४३. | ९४ | १३० | १ | परीक्षा संचानल | परीक्षा संचालन |
| १४४. | ९६ | १३६ | २ | पहरी | प्रहरी |
| १४५. | ९७ | १३९ | १ | राष्ट्रय | राष्ट्रिय |
| १४६. | ९७ | १४० | २ | प्रशिक्षार्थीहलाई | प्रशिक्षार्थीहरूलाई |
| १४७. | ९८ | १४७ | १ | सुरक्षा पहरा | सुरक्षा प्रहरी |
| १४८. | ९८ | १४७ | | सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा प्रहरा<br>चेकपोष्टका प्रहरी कर्मचारी | सशस्त्र प्रहरी, सुरक्षा प्रहरी, चेकपोष्टका प्रहरी कर्मचारी |
| १४९. | ९८ | १४७ | २ | शस्त्र | सशस्त्र |
| १५०. | ९८ | १४८ | | सेरीमोनियम पोशाक :– | सेरिमोनियल पोशाक :– |
| १५१. | ९८ | १४९ | ३ | अवस्था | अवस्थामा |
| १५२. | ९९ | १५० | २ | निश्चित पुगी | निश्चित अवधि पुगी |
| १५३. | १०१ | १५४(३) | २ | प्रहरी अतिरिक्त निरीक्षक | प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक |
| १५४. | १०५ | १६८ | ७ | अवस्था | भएमा |
| १५५. | १०७ | अनुसूची २ | १० | संघ संस्थाका | संघ संस्थाको |
| १५६. | १०७ | अनुसूची २ | २१ | गरेकोमा | गरेमा |
| १५७. | १०९ | अनुसूची ३ | ग. | समूह (प्रतिवर्ष ३ आंक) | समूह (प्रतिवर्ष ३ अंक) |
| १५८. | ११२ | अनुसूची ४ समूह ४ | ८ | अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण | अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण सम्बन्धी तालीम |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| क्र.सं. | पेज नं. | नियम | हरफ | भएको | हुनुपर्ने |
|---|---|---|---|---|---|
| १५९. | ११३ | अनुसूची ४ समूह ५(३) | | प्रत्येक समूह अन्तरगतको शीर्षक | प्रत्येक समूह अन्तरगतको तालीम शीर्षक |
| १६०. | ११४ | अनुसूची ४ समूह ५(८) | | पदहरूमा बढुव | पदहरूमा बढुवा |
| १६१. | ११४ | अनुसूची ४ द्रष्टव्य | २ | आधार तालीम | आधारभूत तालीम |
| १६२. | ११६ | अनुसूची ५ | २६ | महेन्द्र आभषण | महेन्द्ररत्न आभूषण |
| १६३. | ११७ | अनुसूची ६(१) | ४ | बमोजिमको | बमोजिमको र |
| १६४. | ११७ | अनुसूची ६(३) | ४ | अवलोकनर्ताले | अवलोकनकर्ताले |
| १६५. | १२२ | अनुसूची ७ शीर्षक | | प्रारम्भिक पोशाक सामान | प्रारम्भिक पोशाक र सामान |
| १६६. | १२२ | अनुसूची ७ को क्र. सं. १ | १ | टेकिटन कमिज | टेरिकटन कमीज |
| १६७. | १२४ | अनुसूची ८ को क्र. सं. ९ | ९ | उनी जन्जी | उनी गन्जी |
| १६८. | १२६ | अनुसूची १० (ख) को क्र. सं.११ | ११ | टोटाहरू आवश्यक संख्या १ वर्ष | टोटाहरू आवश्यक-तानुसार १ वर्ष |
| १६९. | १२६ | अनुसूची ११ (ख) कोक्र.सं. १२ | १२ | पाल आवश्यक वर्ष ६ वर्ष | पाल आवश्यकता-नुसार ६ वर्ष । |

आज्ञाले,
भोजराज पोखरेल
श्री ५ को सरकारको का. मु. सचिव



मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

८६८

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।